**न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी एक्ट सहारनपुर।**

प्रकीर्ण वाद संख्या 232/22

CNR No UPSP010048522022

श्रीमती सेवा रानी–––––––––बनाम–––––– दिलशाद आदि।

**03–08–2022**

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 156(3)द0प्र0सं पर सुना गया।

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया मकान की दुकान के सामने प्रार्थीया के पुत्र ने पानल का खोखा बनाया हुआ है तथा प्रार्थीया अपने बच्चो के साथ उक्त मकान में निवास करती है। प्रार्थीया के पित ने मुल्जिम याकूब को अपनी एक दुकान किराये पर दी थी जिसको मुल्जिम याकूब ने विधि विरूद्ध रूप ने मुल्जिम संख्या 2 दिलशाद को गैर कानूनी तौर से 5000 रुपये माहवार की दर से किराये पर दे दिया और मुल्जिम याकूब किला नवाबगंज में हडडी जोडने व तोडने का कार्य बिना लाईसेन्स के करता है। उसके पास इस कार्य करने का कोई विधिक प्रमाण पत्र भी नहीं है। प्रार्थीया की दुकान मात्र 500 रुपये माहवार की दर से मुल्जिम याकूब को किराये पर दी गयी थी। उसने दुकान खाली कर दी है। प्रार्थीया के लडको की जवान लडकियॉ व बच्चे व उनकी पत्नीयॉ इसी मकान में रहती है। प्रार्थी के पुत्र मुनेश ने मुल्जिमान को जब शराब आदि पीने से मना किया तो उन्होंने मार्च 2022 के अन्तिम सप्ताह में प्रार्थीया के लडके को मॉ बहन की गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए बहुत की बेहूदगी से कहा कि चमार की औलाद तेरी क्या हिम्मत है कि तू हमें खाने पीने से रोकेगा। दिनांक 28.03.2022 की रात 10 बजे मुल्जिम महबूब हसन अपनी सफेद रंग की कार में मेरे लडके मुनेश के पान के खोखे पर आया और उसने आते ही अपमानजनक व जाति सूचक बहुत गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए कहा कि वह गॉव घुन्ना का गाडा है व जमींदार है। इस घटना के गवाह रीना , रमेशों , सुशील , मुनेश और प्रार्थिया आदि है। जिन्होंने मुल्जिम महबूब हसन की उक्त सब बातो को सुना और उसकी हरकतों को देखा। उसने यह भी धमकी दी कि जिले के समाजवादी पार्टी के दो विधायक उसके अपने साथी है। प्रार्थीया थाने गयी परन्तु उसकी रिर्पोट दर्ज नही हुई । इस पर प्रार्थीया ने एस0एस0पी सहारनपुर को पत्र प्रेषित किया तथा पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थीया द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वंय का शपथपत्र तथा एस0एस0पी सहारनुपर को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति व डाक की रसीद तथा पुलिस महानिदेशक लखनऊ को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छाया प्रति व डाक रशीद, स्वंय के आधार कार्ड, बैंक पासबुक व जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की हैं।

सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसारः–

" आवेदिका सेवा रानी पत्नी स्व0 पल्टूराम निवासी बेहट रोड

निकट शिव मंदिर शंकरपुरी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर के अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र की जॉच मुझ उपनिरीक्षक द्वारा की गयी तो वाक्यात इस प्रकार से पाये गये कि **विपक्षी याकूब ने सन 1992 में 1300 रुपये देकर दुकान लीज पर ली थी तथा किराया निर्धारित किया था। जब से दुकान याकूब पर है। कुछ माह पहले याकूब ने उक्त दुकान अपने रिश्तेदार दिलशाद को दे दी और दुकान करने लगा। अब आवेदिका दुकान खाली कराना चाहती है और विपक्षी का कहना है कि मैंने सन 1992 से उक्त दुकान पगडी पर ले रखी है, हिसाब–किताब होने के बाद ही दुकान खाली करूगा। छेडखानी, मारपीट व गाली गलौच की कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी है। यह आरोप गलत है तथा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।** "

प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोक से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 156(3)द0प्र0सं0 में अंकित किये गये तथ्यों से ही यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया के पति द्वारा विपक्षी को अपनी दुकान किराये पर दी गयी जो याकूब के द्वारा खाली करने के उपरान्त दिलशाद को दे दी गयी है।

थाने से प्राप्त आख्यानुसार प्रार्थनी दिलशाद से अपनी दुकान खाली कराना चाहती है। प्रार्थीनी के धारा 156(3)द0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से भी प्रथम दृष्टया ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि प्रार्थीया दिलशाद से अपनी दुकान को खाली कराना चाहती है और इसी कारण उस पर दुकान खाली करने का दबाव बनाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में मामला दुकान की किरायेदारी का है।

प्रार्थीनी यदि अपनी दुकान दिलशाद से खाली कराना चाहती है तो इसके लिए सक्षम न्यायालय में दुकान खाली कराने के लिए वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी पर दुकान खाली करने का दबाव बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः उपरोक्त के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

**आदेश**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3)द0प्र0सं निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

(सरला दत्ता)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी एक्ट
सहारनपुर।
03–08–2022